न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2026/68

मिसलनम्बर– 04 / 2026

1.अमर सिंह उम्र 80 वर्ष पुत्र स्व0 श्री मदन लाल सैनी
2.श्रीमती श्यामवती उम्र 75 साल पत्नी श्री अमर सिह सैनी निवासीगण म0 न0 2 एफ 64 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

–प्रार्थीगण

बनाम

1.हेम सिंह सैनी पुत्र श्री अमर सिंह सैनी उम्र 51 वर्ष जाति माली
2.श्रीमती बबली सैनी पत्नी श्री हेम सिंह सैनी जाति माली निवासीगण म0 न0 2 एफ 64 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/3/2026

उपस्थितिः–

1.श्री अजय श्रृंगी प्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण पति पत्नी है व अप्रार्थी कम 1 व 2 प्रार्थीगण के पुत्र व पुत्र वधु है। प्रार्थी कम 1 द्वारा खुद की कमाई से निर्मित करवाये हुये म० न० 2–एफ–64 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, राज० तह0 लाडपुरा शहर कोटा राज० में स्थित है जिनमें वर्तमान में स्वयं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 2 मय परिवार निवास कर रहें है इस प्रकार प्रार्थीगण के परिवार में तीन लडकियां व दो लडके है जिनमें सरोज सैनी (पुत्री) हेम सिंह पुत्र अप्रार्थी नंबर 1, श्रीमती रूकमणी (पुत्री) पिताम्बर सैनी (पुत्र) एवं ज्योति सैनी (पुत्री) है इन सभी संतानो का विवाह प्रार्थीगण के द्वारा कर दिया गया है, संतानो में से बडी बेटी सरोज सैनी का विवाह कर दिया गया है वो अपने ससुराल में परिवार सहित निवासरत है इसी प्रकार रूकमणी का भी विवाह करने के बाद वह भी अपने ससुराल में परिवार सहित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निवासरत है, पुत्री ज्योति सैनी का भी विवाह कर दिया गया है लेकिन ससुराल पक्ष से विवाद होने के कारण से वो प्रार्थीगण के साथ ही निवासरत है। अप्रार्थीगण कम 1 व 2 पुत्र वधु है जो प्रार्थी न० 1 के द्वारा स्वय की कमाई से निर्मित करवाये मे मकान में ही अपने अपने परिवार सहित निवासरत है। प्रार्थीगण ने अपने सभी पुत्र अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 2 का विवाह बडी धूमधाम से कर दिया हैं और वो अपने अपने परिवार सहित प्रार्थीगण के मकान में ही निवासरत है निवास कर रहे है और अच्छा कारोबार कर रहें हैं लेकिन अप्रार्थी नंबर 1 हेम सिंह सैनी व उसकी पत्नी बबली अप्रार्थी न0 2 प्रार्थीगण का कोई ध्यान नहीं रखते है, अप्रार्थीगण वृद्ध प्रार्थीगणो की ओर ध्यान नहीं दे रहे है उनका भरण पोषण नहीं कर रहें है बल्कि उन पर मानसिक व शारीरिक अत्याचार कर रहें है। प्रार्थीगण अत्यन्त वयोवृद्ध, बीमार और सीनियर सिटीजन है और सिनीयर सिटीजन एक्ट धारा 23 के तहत प्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी स्वयं की अर्जित आय से निर्मित कराई अचल सम्पत्ति जिसका की स्वयं ने किसी को दान कर दिया हो या उपहार मे दे दिया हो या रहने को दे दिया हो उसे केसिंल कर वापस प्राप्त कर सके, उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जो तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये गये है उसके अनुसार प्रार्थीगण ने केवल मात्र अपनी सेवासुश्रा करने व भरण पोषण करने एवं आचरण सही रखने की शर्त पर ही अप्रार्थीगण को अपने स्वअर्जित मकान का उपयोग करने की अनुमति दी थी किन्तु अप्रार्थीगण ने उसका उल्लघंन किया, पालना नहीं की, अप्रार्थी न0 1 दिन प्रतिदिन शराब पीकर आता है, और घर में हंगामा करता है, न्यूसेन्स पैदा करता है, बलपूर्वक लडाई झगडा कर प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने को आमादा रहते है किसी प्रकार का हाथ खर्चा नहीं देता हैं, खाना नहीं देते हैं, हारी बीमारी में सार संभल नहीं करते है, दवा आदि की व्यवस्था नहीं करते है, इस तरहा का दुर्व्यवहार व्यवहार प्रार्थीगण को बेसहारा सा कर दिया यदि प्रार्थीगण का छोटा पुत्र पिताम्बर प्रार्थीगण पर ध्यान नहीं देता तो प्रार्थीगण पर घोर आपत्तियां आजीविका चलाने, बीमार होने पर ईलाज करवाने, दैनिक खर्च, समय समय पर कपडे आदि आदि की व्यवस्था जैसी समस्या पैदा हो जाती, लेकिन छोटा पुत्र पिताम्बर सैनी पर प्रार्थीगण का सारा भार ही क्यों डाला जाये, क्योंकि प्रार्थी नं0 1 पर पुत्रो पुत्रीयो के विवाह का कर्जा, मकान बनाने का कर्जा इसके अलावा अप्रार्थी नं0 1 द्वारा भी फाईनेन्स कंपनीयो से कर्जा लिया हुआ था, इन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सबका चुकारा करने का बहुत बडा भार हो गया था, ऐसे मे कर्जा चुकाने के लिये अन्य कोई विकल्प न होने के कारण मकान नंबर–2 एफ–64 महावीर विस्तार योजना को बैंक–एच डी बी प्रा0 बैंक से लोन लिया गया यह लोन बकाया चल रहा है इस लोन की किश्ते भी अकेला छोटा पुत्र पिताम्वर ही जमा कराता आ रहा है, जबकि लोन का चुकता करने का भार अप्रार्थी न० 1 का भी बनता है लेकिन अप्रार्थी न० 1 एक पैसा भी लोन में चुकता नहीं कर रहा हैं। प्रार्थीगण जब अप्रार्थीगण को कहते है कि बैंक का जो लोन चल रहा है उसकी जो किश्ते निर्धारित है उस किश्त राशि में आधा भाग जमा करवाये इतना कहने अप्रार्थीगण गाली गलोच करने लग जाते हैं यहां तक की मारपीट करने को आमादा हो जाते हैं, धमकी देते है कि वो मकान के उपर मकान का निर्माण करवायेंगे, आप सभी इस मकान को खाली कर के यहां से चले जाओ वो अकेला ही अपने परिवार सहित पूरे मकान पर अपना कब्जा जमाते हुये रहेंगे, मकान से बेदखल करने के लिये कई बार अप्रार्थीगणो ने मिलकर प्रार्थीगण को गाली गलोच किया, धक्के देकर बाहर निकालने का प्रयास किया, छोटा पुत्र पिताम्बर जब बचाने को आता है तो अप्रार्थीगण को भी काफी बुरा बुरा कहते है गालियां बकते है उसे भी धमकाते है कि तुझे भी इस मकान मे नहीं रहने देंगे, यदि तूने भी मकान खाली नहीं किया तो तुझे तो झूंठी रिपोर्ट दर्ज कर जैल भिजवा देगे, और फिर पीछे से इन दोनो डोकरे–डाकरी को भी बाहर कर देंगे, मकान में नहीं घुसने देंगे, इस तरहा से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा की जा रही क्रूरता, अत्याचारो से काफी परेशान चल रहे है भारी मानसिक संताप पहुंचा रहें है ऐसे मे प्रार्थीगण के समक्ष यही एक विकल्प रहा कि वो न्यायालय के माध्यम से अप्रार्थीगण को अपनी कमाई से बनाये गये मकान स. 2 एफ 64 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा से बेदखल करें, मकान में वो प्रार्थीगण के साथ रहेगा जो प्रार्थीगण का हर प्रकार से सहारा बना रहेगा, समय समय पर हारी बीमारी में ईलाज कराता रहेगा, हाथ खर्चा देता रहेगा, आजीविका हेतु उनका ठीक से भरण पोषण करेगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को इस बाबत काफी समझाया कि वो प्राथीगण पर इस तरहा का दुर्व्यवहार न करे, उनकी समय समय पर छोटे पुत्र पिताम्बर की तरह सार संभाल करें, हाथ खर्चा देवे, भरण पोषण करे, मकान मे लगे हुये नल –बिजली का चार्जेज हिस्से अनुसार देता रहें, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है बल्कि अभद्र भाषा बोलकर अपमानित करता है मारने को दौडता है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा माननीय

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहें है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की न तो कोई इज्जत करते है न ही उनके हाथ खर्च का ध्यान रखते हैं न ही दो वक्त का खाना देते है बल्कि गाली गलोच करते है मारपीट करते है और प्रार्थीगण को जबरन मकान से निकालने के प्रयास में रहते है अप्रार्थीगण धमकी देते है कि प्रार्थीगण मकान छोड़ कर चले जाये अप्रार्थीगण पूरे मकान पर अपना कब्जा करेंगे, इस प्रकार अप्रार्थीगण जब प्रार्थीगण की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे है बेटे का बाप के प्रति जो फर्ज व जिम्मेदारी बनती है उसे नहीं निभा पा रहे है तो ऐसे बेटे–बहू का प्रार्थीगण की कमाई से खडे मकान में उनका कोई अधिकार नहीं है इसलिये अप्रार्थीकम 1 व 2 मकान खाली कर के चले जावे, प्रार्थीगण अपने मकान मे स्थित कमरो को किराये पर देगा, और किराया से होने वाली आय को स्वयं के भरण पोषण व नल–बिजली एवं मकान मरम्मत पर खर्च करेगा। इतना कहने पर अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 बेटो बहु ने प्रार्थीगण को काफी भला बुरा कहा और उसे अपमानित भी किया यहां तक की मारने को हाथ भी उठा लिया। प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो अप्रार्थी कम 1 लगायत 2 को स्वयं की मिल्कियती अचल सम्पत्ति वाले मकान से बेदखल कर मकान को खाली करवालें, प्रार्थीगण को 10,000/–रूपये प्रतिमाह जीविकापार्जन हेतु भरण पोषण के रूप में अप्रार्थीगण से प्राप्त कर स्वयं के भरण पोषण तथा समय समय पर हारी बीमारी पर होने वाले खर्च, कपड़े आदि पर वहन कर सके, उपरोक्त रकम अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से देने में पूर्णतया सक्षम है क्योंकि अप्रार्थीगण 1 प्राईवेट जॉब श्रीराम इन्डस्ट्रीज में करता है। जिससे प्रत्येक अप्रार्थी को 30 से 40 हजार रूपया मासिक आय अर्जित होती है इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को 10 हजार रूपया प्रतिमाह देने में पूर्णतया सक्षम है क्योकि प्रार्थीगण के पास कोई आय का जरिया नहीं है और वृद्धजन होने से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की जाती है कि अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश पारित किया जावे कि अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से प्रार्थीगण के मकान को खाली कर प्रार्थीगण को संभलायें, और प्रार्थीगण को उसकी जीविकापार्जन व चिकित्सा, कपडे आदि आदि के लिये 10,000/–रूपये प्रति माह अदा करे साथ ही मकान पर जो बैंक का कर्जा है उस बैंक लोन की मासिक किश्त आती है उसकी आधी किश्त अप्रार्थीगण भी हर माह लोन चुकता होने तक समय पर जमा करवाये ऐसा आदेश प्रार्थना पत्र पेश करने की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख से प्रार्थीगण के जीवित रहते समय तक अप्रार्थीगण से अदा करवायें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान की रजिस्ट्री की नकल पेश की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी न0 1 दिन प्रतिदिन शराब पीकर आता है, और घर में हंगामा करता है, न्यूसेन्स पैदा करता है, बलपूर्वक लडाई झगडा कर प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने को आमादा रहते है किसी प्रकार का हाथ खर्चा नहीं देता हैं, खाना नहीं देते हैं, हारी बीमारी में सार संभल नहीं करते है, दवा आदि की व्यवस्था नहीं करते है, इस तरहा का दुर्व्यवहार व्यवहार प्रार्थीगण को बेसहारा सा कर दिया। मकान से बेदखल करने के लिए कई बार अप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थीगण को गाली गलोच किया, धक्के देकर बाहर निकालने का प्रयास किया। अप्रार्थीगण की इन कृत्यो से प्रार्थीगण मानसिक संताप में जी रहे है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मकान की रजिस्ट्री की नकल के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उपरोक्त मकान प्रार्थी नं0 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से अपने लडाई झगडे, गाली गलोच एवं मारपीट किये जाने से सम्बंधित कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने मारपीट, गाली–गलौच से सम्बंधित कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नं0 1 व 2 को म0 न0 2 एफ 64 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चूंकि प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। जिस कारण से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण नं0 1 को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को 5,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा